खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 412 की भूमि को यथावत वादी संख्या 1 उमाराम तथा मुतदाविया शेष खसरा 19 माफिक राजीनामा एवं सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट में चाहा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के हक बंट में अन्य भूमि रखी गई है जो वादपत्र में वर्णित है। अतः मौजा कसनाउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 19 व 412 के सहखातेदार एवं माफिक वाद पत्र विधिक पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य राजीनामा/सहमति अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कसनाउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 19 व 412 के सहखातेदार एवं माफिक वाद पत्र विधिक पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य राजीनामा/सहमति अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 उमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 412 रकबा 1.3840 हैक्टेयर रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सुरेश, श्रवणराम, सहीराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 19 रकबा 0.9712 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि इनके हक बंट में मौजा कसनाउ के खसरा नंबर 63 रकबा 0.6880, खसरा नंबर 66 रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमि आई हुई है इस कारण मुतदाविया खेतायों में इनके हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक ...18/11/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/11/2021

(दलीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner